न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा
प्रेमदेवी बनाम अमृतलाल वगै.
प्रकरण संख्या - 43/2022 वाद
GCMS No. - 2022/162

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 43/2022 वाद

GCMS No. – 2022/162

श्रीमती प्रेमदेवी पत्नी पन्नालाल कुमावत निवासी श्रीराम कॉलोनी, निम्बाहेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

–वादिया

//बनाम//

1. अमृतलाल पुत्र अम्बालाल सुथार निवासी अरनियामाली तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. दिनेश पुत्र नन्दराम सुथार निवासी अरनियामाली तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
3. रतनलाल पुत्र नन्दराम सुथार निवासी अरनियामाली तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
4. शंकरलाल पुत्र रामचन्द्र सुथार निवासी अरनियामाली तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
5. शांतिलाल पुत्र नन्दराम सुथार निवासी अरनियामाली तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

पत्रावली आज दिनांक को वादिया के अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार कुमावत की उपस्थिति में पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत हुई । प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 1000/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया गया कि वादग्रस्त वाके आराजियात वाके मौजा सेगवापटवार हल्का गादोला तहसील निम्बाहेड़ा की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2077–2080 की खाता संख्या 127 की आराजी नम्बर 420 रकबा 2.0600 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 472 रकबा 0.0400 हैक्टेयर कुल किता–2 कुल रकबा 2.1000 हैक्टेयर भूमि का बटवारा वादिया एवं प्रतिवादी नम्बर 1 से 5 के मध्य उनके वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज [illegible] अनुसार एवं मौके पर कब्जे को प्राथमिकता देते हुये मिट[illegible] किया जावें। वादिया का हक हिस्सा अलग खातेदारी में दर्ज किया [illegible] का वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्सा अनुसार बदस्तुर शामिल रखा जावें। अग[illegible]ादीगण बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते वक्त अपना ह[illegible] हिस्सा अलग करवाना [illegible] है तो उसका हिस्सा अलग खातेदारी में दर्ज किया जावें। पंहुच मार्ग सुनिश्चित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:22:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार निम्बाहेड़ा तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व / 2023 / 1956 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो माफिक आदेशानुसार है।

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा रोगवा पटवार हल्का गादोला तहसील निम्बाहेड़ा का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है:—

1.—.श्रीमती प्रेमदेवी पत्नि पन्नालाल कुमावत निवासी श्रीराम कॉलोनी निम्बाहेडा खातेदार

आ0नं.	रकबा(है0)	लगान
420 / 1	0.5225	9.02
किता—1	कुल रकबा 0.5225 हैक्टेयर	—

2— श्री अमृतलाल पुत्र अम्बालाल 1 / 3, दिनेश पुत्र नन्दराम 1 / 9, रतनलाल पुत्र नन्दराम 1 / 9, शंकरलाल पुत्र रामचन्द्र 1 / 3, शान्तिलाल पुत्र नन्दराम 1 / 9 सुथार निवासी अरनियामाली खातेदार रहन बदस्तुर

आ0नं.	रकबा(है0)	लगान
420 / 2	1.5275	29.03
472	0.04	0.28
किता—1	कुल रकबा 1.5675 हैक्टेयर	29.31

3.—अमृतलाल पुत्र अम्बालाल 1 / 4, दिनेश पुत्र नन्दराम 1 / 12, प्रेमदेवी पत्नि पन्नालाल 1 / 4 कुमावत निवासी श्रीराम कॉलोनी निम्बाहेडा, रतनलाल पुत्र नन्दराम 1 / 12, शंकरलाल पुत्र रामचन्द्र 1 / 4 रहन, शांतिलाल पुत्र नन्दराम 1 / 12 सुथार निवासी अरनियामाली खातेदार रहन बदस्तुर

आ0नं.	रकबा(है0)	किस्म
420 / 3	0.01	ट्यूबवेल.
किता—1	कुल रकबा 0.01 हैक्टेयर	—

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2024 को [illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:22:03 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Scanned with OKEN Scanner